

दाखल ता 22 APR 2016

महायुक्त अधीक्षक
मोहमार्ग न्यायालय, दौंड

परिवाद-पत्र

क्र 7900/19 E

मा.न्यायदण्डाधिकारी सो प्रथमवर्ग लोहमार्ग न्यायालय, दौंड की सेवा में सविनय सादर

01. RPF थाना :- लोनी
02. मामला रजि.क्रमांक :- 849 /2016.
03. धारा :- 147 रेल अधिनियम
04. घटना की दिनांक एवं समय :- दिनांक 22/04/16 को समय करिबन 08/40 से 09/30 बजे
05. घटनास्थल :- एसएमएस रोड
06. फरियादी का नाम व पता :- आ.प्र.आ. 0602257 / कुमारी पाणिनी RPF/थाना/लोनी
07. संलिप्त व्यक्ति का नाम व पता :- डा.डॉ.क. सुबनाथ बोरे, उम. 50 वर्ष,
R/O गेजेट, सर्वे नं. 10, पूणे
08. जप्त मुद्देमाल का विवरण :-
09. मा.न्यायालय में हाजिर रहने की दिनांक व समय :- दिनांक 22/04/16 को समय 12/00 बजे
10. जांच अधिकारी का नाम व पता :- श्री. डी. पवार ASI/SIPF/RPF/थाना/लोनी
11. घटना की संक्षिप्त हकीकत :- मा. न्यायालय की सिमा एवं रेलवे सुरक्षा बल, थाना, लोनी के कार्यक्षेत्र में दिनांक 22/04/2016 को कॉलम नं. 07 के व्यक्ति व्दाय कॉलम नं. 05 के घटनास्थल पर अनाधिकृत रूप से माला बोरे पर श्री मोहमार्ग न्यायालय न बने इसे लाइन बाँक 32541 पाया। रेल अधिनियम की धारा 147 उल्लंघन किया है कारणवश उक्त व्यक्ति को रेल अधिनियम के तहत "नोटीस" जारी कर उचित कानूनी कार्यवाही होने हेतु मा.न्यायालय के समक्ष उक्त मामला विचारण हेतु पेश किया जा रहा है।

अतः मा. न्यायालय से विनती है कि, उक्त व्यक्ति के विरुद्ध उचित कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करके उक्त व्यक्ति के पास से जप्त मुद्देमाल के निपटारा हेतु आवश्यक आदेश जारी करने की कृपा करें।

संलिप्त व्यक्ति के हस्ताक्षर :-

अ.प.क.

संलग्न

:- फरियाद, नोटीस

मे.डु.को.जा.व्हा.वे.

निरीक्षक

आर. पी. एफ. थाना, लोनी
Inspector
R.P.F. Thana, Loni

सब जम 500/-
घाबले 300/-

मह. अधीक्षक,
मोहमार्ग न्यायालय, दौंड

बला गन्हा कबल भारे

अशोक

समक्ष

प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी

लोहमार्ग, दौंड

22 APR 2016

Exn. Q.L. The contents of Plea read and explained in vernacular in which he understood and pleaded guilty to the Commission.

147 R A

Hence he is convicted and Sentenced to Pay a Fine of Rs. 500/- (L.B.)

4 days

Judicial Magistrate
J.M.F.C. (Rly.) Daund

22 APR 2016